

## टिप्पणी (क्रमिक)



माननीय महापौर महोदया की अध्यक्षता में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 04.10.2021 को सायं 3:00 बजे आयोजित की गई। जिसमें निम्न कर्मचारी/अधिकारी उपस्थित हुए।

क्र. सं.	अधिकारी	पद	हस्ताक्षर
1.	मा० महापौर महोदया	अध्यक्ष	
2.	आयुक्त महोदय	सदस्य सचिव	
3.	मुख्य अभियन्ता	सदस्य	
4.	अति० मुख्य नगर नियोजक	सदस्य	
5.	निदेशक विधि	विशेष आमंत्रित सदस्य	
6.	वित्तीय सलाहकार	विशेष आमंत्रित सदस्य	
7.	उपायुक्त आयोजना प्रथम	विशेष आमंत्रित सदस्य	



# नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, बालकोठी, टॉक रोड, जयपुर)  
(आयोजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक :- एफ 13 ( ) उपा. आयोजना/जननि./2021/ 476

दिनांक- 4/10/2021

## एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 04.10.2021 का कार्यवाही विवरण

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 68664 दिनांक 27.09.2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 49 की उपधारा (6) सहपठित धारा 337 की उपधारा (1) एवं (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए, 71, 73, 118, 121, 171, 183, 189, 174, 194, (194 की उपधारा (7) के खण्ड (2) एवं उपधारा (12) को छोड़कर) 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299 - 306 के अन्तर्गत मण्डल को प्रदत्त शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की गई है।

उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में आदेश क्रमांक 701 दिनांक 01.10.2021 से नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति की प्रथम बैठक आज दिनांक 02.10.2021 को आयोजित की गई, जिसमें निम्न उपस्थित हुए-

1. श्रीमती शील धाभाई महापौर महोदया अध्यक्ष
  2. श्री यज्ञ मित्र सिंह देव आयुक्त आयुक्त सदस्य सचिव
  3. श्री अनिल सिंघल मुख्य अभियंता सदस्य
  4. श्री राजेश कुमार तुलारा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक सदस्य
- बैठक में श्री कैलाश ईनाणिया, निदेशक (विधि), श्री अचलेश्वर वित्तीय सलाहकार, श्री महेश चन्द मान उपायुक्त आयोजना-प्रथम/द्वितीय, राजस्व द्वितीय विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित हुए।

एजेण्डा पर विचारा विमर्श पश्चात् एजेण्डावार निम्नानुसार निर्णय लिए गए-

### 1 एम्पावर्ड कमेटी का गठन

एम्पावर्ड कमेटी के नगर निगम ग्रेटर स्तर पर गठित कमेटी के आदेश क्रमांक 701 दिनांक 01.10.2021 की पुष्टि की गई।

उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में आदेश क्रमांक 701 दिनांक 01.10.2021 से नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया है :-

- महापौर महोदया
- आयुक्त
- मुख्य अभियंता
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

अध्यक्ष  
सदस्य सचिव  
सदस्य  
सदस्य



# नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(वि. विनयनयन संयुक्त नगर, राजस्थान, राज. नगर, जयपुर)  
(अ-गणित-गणित)

आयोजन - एक 13 ( ) उपा. आयोजना / जनवि. / 2021 / 4/16

दिनांक - 4/10/2021

## एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 04.10.2021 का कार्यवाही विवरण

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 68664 दिनांक 27.09.2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के दौरान विभिन्न प्रकरणों के शीघ्र विस्तारण की दृष्टि से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 49 की उपधारा (6) सहपठित धारा 337 की उपधारा (1) एवं (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए, 71, 73, 118, 121, 171, 183, 189, 174, 194, (194 की उपधारा (7) के खण्ड (2) एवं उपधारा (12) को छोड़कर) 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299 - 306 के अन्तर्गत मण्डल को प्रदत्त शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की गई है।

उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में आदेश क्रमांक 701 दिनांक 01.10.2021 से नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति की प्रथम बैठक आज दिनांक 02.10.2021 को आयोजित की गई, जिसमें निम्न उपस्थित हुए-

1. श्रीमती शील धाभाई महापौर महोदया अध्यक्ष
  2. श्री यज्ञ मित्र सिंह देव आयुक्त आयुक्त सदस्य सचिव
  3. श्री अनिल सिंघल मुख्य अभियंता सदस्य
  4. श्री राजेश कुमार तुलारा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक सदस्य
- बैठक में श्री कैलाश ईनाणिया, निदेशक (विधि), श्री अचलेश्वर वित्तीय सलाहकार, श्री महेश चन्द मान उपायुक्त आयोजना-प्रथम/द्वितीय, राजस्व द्वितीय विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित हुए।

एजेण्डा पर विचारा विमर्श पश्चात् एजेण्डावार निम्नानुसार निर्णय लिए गए-

### 1 एम्पावर्ड कमेटी का गठन

एम्पावर्ड कमेटी के नगर निगम ग्रेटर स्तर पर गठित कमेटी के आदेश क्रमांक 701 दिनांक 01.10.2021 की पुष्टि की गई।

उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में आदेश क्रमांक 701 दिनांक 01.10.2021 से नगर निगम ग्रेटर, जयपुर में निम्नानुसार कमेटी का गठन किया गया है :-

- |                             |            |
|-----------------------------|------------|
| ➤ महापौर महोदया             | अध्यक्ष    |
| ➤ आयुक्त                    | सदस्य सचिव |
| ➤ मुख्य अभियंता             | सदस्य      |
| ➤ अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक | सदस्य      |

## 2 एम्पावर्ड कमेटी द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 अवधि के दौरान निदेशक एवं विशिष्ट सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 68664 दिनांक 27.09.2021 में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों का उपयोग करते हुए मानचित्र अनुमोदन (क्षेत्रफल 250.00 वर्गमीटर), उपविभाजन (300 वर्गमीटर), पुनर्गठन (300 वर्गमीटर) नाम हस्तान्तरण, पट्टा जारी करने (स्टेट ग्रान्ट, कच्ची बस्ती, 69-क के तहत पंचायत की आबादी के पट्टे) इत्यादि कार्यों में मण्डल को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्वरित निस्तारण हेतु एम्पावर्ड कमेटी द्वारा जोन स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है-

- उपायुक्त जोन
- अधिशाषी अभियंता
- सहायक नगर नियोजक/टीपीए
- राजस्व अधिकारी

अध्यक्ष  
सदस्य  
सदस्य  
सदस्य सचिव

नोट :-


- जोन स्तरीय समिति द्वारा सप्ताह में कम से कम पांच बैठक आवश्यक रूप से आयोजित की जावेगी।
- उपरोक्त जोन स्तरीय समिति के द्वारा आवश्यकता अनुरूप लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में आमन्त्रित किया जा सकेगा।
- उपर्युक्त जोन स्तरीय समिति में न्यूनतम 3 सदस्यों का कोरम होगा तथा उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जायेगा।
- समिति द्वारा बैठकों का कार्यवाही विवरण रजिस्टर नियमित रूप से संधारित किया जायेगा।

प्रस्ताव संख्या 03 जारी किये गये पट्टों की पुष्टि

प्रशासन शहरों के संग शुभारंभ दिनांक 02.10.2021 को निम्नानुसार 23 पट्टे वितरित किये गये जिसकी पुष्टि की जाती है:-

1.	श्री चन्द्रप्रकाश सैनी	कच्ची बस्ती
2.	श्री छीतर मीणा	कच्ची बस्ती
3.	श्रीमती शान्ति देवी	स्टेट ग्रान्ट
4.	श्रीमती उमराव कंवर	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
5.	श्री कौशल अग्रवाल	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
6.	श्री राधेश्याम सोनी	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
7.	श्री कौशल अग्रवाल	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
8.	श्रीमती फूला देवी	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
9.	श्री रघुनन्दन मिश्रा	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना







2

10.	श्रीमती शकुन्तला	यु.आई.टी. से हस्तान्तरित योजना
11.	श्रीमती उमराव कंवर	यु.आई.टी. से हस्तान्तरित योजना
12.	श्री गोपाल माथुर	यु.आई.टी. से हस्तान्तरित योजना
13.	श्री देवेन्द्र कुमार बाहेती	यु.आई.टी. से हस्तान्तरित योजना
14.	श्री पीताम्बर आडवाणी	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
15.	श्री सुदर्शन जैन	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
16.	श्री मूल सिंह शेखावत	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
17.	श्री जूलिफकार अली	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
18.	श्री राधेश्याम गुप्ता	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
19.	श्री संजीव खाण्डल	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
20.	श्री राजेन्द्र खुरानी	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
21.	श्री राजेन्द्र खुरानी	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना
22.	श्रीमती जडाव देवी	स्टेट ग्रान्ट
23.	श्री रिछपाल	जे.डी.ए. से हस्तान्तरित योजना

  
(शील धामाई)  
महापौर

  
(यज्ञ मित्र सिंह देव)  
आयुक्त

  
(अनिल सिंघल)  
मुख्य अभियंता

  
(राजेश कुमार तुलारा)  
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

(6)

दिनांक 04.10.2021

प्रस्ताव सं. 04 (A)

प्रयोजन - उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

1. पार्थी का नाम :- श्री भूपेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा
2. भू. सं./योजना का नाम :- डी-80, डी-81 (दक्षिणी भाग) स्कीम नं. 17 (सिन्धु नगर गृ.नि.स.स. लि०) मुरलीपुरा सीकर रोड, जयपुर जयपुर
3. भूखण्ड का प्रकार :-  
(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- स्कीम नं. 17 (सिन्धु नगर गृ.नि.स.स. लि०)

(ii) आवंटित :- हॉ

4. क्षेत्रफल का विवरण :-

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके अनुसार
मूल भूखण्ड	468.75 व. ग.	468.75 व. ग.	468.75 व. ग. (सम्पूर्ण भूखण्ड)
प्रस्तावित उपविभाजन भू सं. डी-80 व 81 (एस)	277.50 व. ग.	277.50 व. ग.	

5. सड़क की चौड़ाई :-

(i) योजना/ प्लान के अनुसार :- 30'-0"

(ii) मौके अनुसार :- 30'-0"

6. स्वामित्व रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा संख्या 16/एन अनुसार पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रश्नगत भूखण्ड में से 277.50 वर्ग गज का स्वामित्व आवेदक के पक्ष में सही है।
7. मौका रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा संख्या 5/एन अनुसार मौके की स्थिति पत्रावली में स्केच अनुसार है। भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 30'-0" है। भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 468.75 व. ग. है। उपरोक्त भूखण्ड पर अस्थाई निर्माण बना हुआ है।
8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :-
9. भूखण्ड पर सैट बैंक नगरीय विकास विभाग परिपत्र 31.08.2021 के अनुसार प्रस्तावित किये गये हैं।

पैरामीटर	मूल भू सं.	पैरामीटर	प्रस्तावित भू सं. डी-80 व 81 (एस) पर देय पैरामीटर
अग्र	15'-0"	अग्र	15'-0"
साइड प्रथम	10'-0"	साइड प्रथम	चरपेटा
साइड द्वितीय	10'-0"	साइड द्वितीय	10'-0" (डी-79) की ओर
पीछे	10'-0"	पीछे	10'-0"

10. टिप्पणी :-

1. आवेदक द्वारा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर मूल भूखण्ड क्षेत्रफल 468.75 वर्ग गज में से 277.50 वर्ग गज का उपविभाजन चाहा गया है।








2. भूखण्ड के सैट बैक में अवैध निर्माण है उसका नियमन नहीं माना जावेगा बावत् आवेदक से शपथ पत्र/सबूत साथ इस आशय का शपथ पत्र कि उक्त निर्माण 10 वर्ष पुराना है बाबत् वास्तुविद का शपथ पत्र संलग्न है। (38-39/सी)
3. उपरोक्त बिन्दुओं के निर्णय उपरान्त प्रकरण तकनीकि रूप से अनुमोदन योग्य है।


समिति का निर्णय :-प्रकरण मे एजेण्डा के तथ्यों पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार मूल भूखण्ड क्षेत्रफल 468.75 वर्ग गज में से 277.50 वर्ग गज का उपविभाजन स्वीकृत कर जारी करने का निर्णय लिया गया।
2. प्रकरण मे समस्त शुल्क जमा होने एवं दस्तावेजो की पूर्ति उपरान्त उपविभाजन मानचित्र जारी किये जावें।

  
शील घाम्बाई  
महापौर  
अध्यक्ष

  
यज्ञ सिंह  
आयुक्त  
सदस्य सचिव

  
अनिल सिंह  
मुख्य अभियन्ता  
सदस्य

  
राजेश कुमार तुलारा  
अति० मुख्य नगर नियोजक  
सदस्य

प्रयोजन - उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

1. प्रार्थी का नाम :- श्री मदन सिंह चौधरी पुत्र श्री नानगराम चौधरी
2. भू. सं./योजना का नाम :- 17, (उत्तरी हिस्सा) रमनेशपुरी, झोटवाड़ा (दी महावीर गृ.नि.स.स.लि.) जयपुर
3. भूखण्ड का प्रकार :-  
(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :-रमनेशपुरी, झोटवाड़ा (दी महावीर गृ.नि.स.स.लि.)

(ii) आवंटित :- हौं

4. क्षेत्रफल का विवरण :-

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके अनुसार
मूल भूखण्ड	294.62 व.ग.	294.62 व.ग.	294.62 व.ग. (रिडियस काटकर)
प्रस्तावित उपविभाजन (भू सं-17)	194.62 व.ग.	194.62 व.ग.	194.62 व.ग. (रिडियस काटकर)

5. सड़क की चौड़ाई :-

(i) योजना/ प्लान के अनुसार :- 40'-0" एवं 30'-0"

(ii) मौके अनुसार :- 40'-0" एवं 30'-0"

6. स्वामित्व रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा 15/एन अनुसार प्रकरण में मूल आवंटी द्वारा बेचान किया गया है, अतः सार्वजनिक विज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। मूल आवंटी द्वारा भूखण्ड 294.62 व.ग. में से 194.62 व.ग. का बिक्री विलेख से आवेदक श्री मदन सिंह चौधरी के पक्ष में बेचान किया गया है। आवेदक के पक्ष में 194.62 व.ग. का स्वामित्व सही है।

7. मौका रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा 4/एन अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में मौका देखा गया जिसकी स्थिति निम्नस्केचानुसार है। मौके पर प्रश्नगत भूखण्ड खाली है। भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 40'-0" एवं 30'-0" है। भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 300.00 व.ग. (रिडियस हटाकर 294.62 व.ग.) है। आवेदक के भूखण्ड का क्षेत्रफल 200.00 व.ग. (रिडियस हटाकर 194.62 व.ग.) है।

8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :-

9. भूखण्ड पर सैट बैक भवन विनियम 2020 के बिन्दु सं. 10.7 (ix) के अनुसार प्रस्तावित किये गये हैं।

पैरामीटर	मूल भू. सं. 17	पैरामीटर	प्रस्तावित भू.सं. 17 (उत्तरी हिस्सा) का पर देय पैरामीटर
अग्र प्रथम	15'-0"	अग्र	15'-0"
अग्र द्वितीय	10'-0"	साइड प्रथम	10'-0"
साइड प्रथम	-	साइड द्वितीय	-
साइड द्वितीय	8'-3"	पीछे	-



10. टिप्पणी :-


1. आवेदक द्वारा मानचित्र प्रस्तुत कर मूल भूखण्ड सं०-17 क्षेत्रफल 294.62 व.ग. में से (उत्तरी भाग) 194.62 व.ग. का उपविभाजन चाहा गया है।
2. मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड खाली है व पट्टा 05.03.2004 का जारी है अतः पुर्नभरण शुल्क लिया जाना है।
3. उपरोक्त प्रकरण तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।


समिति का निर्णय :-प्रकरण मे एजेण्डा के तथ्यों पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार मूल भूखण्ड सं०-17 क्षेत्रफल 294.62 व.ग. में से (उत्तरी भाग) 194.62 व. ग. का उपविभाजन स्वीकृत कर जारी करने का निर्णय लिया गया।
2. प्रकरण मे पुर्नभरण राशि लेते हुए समस्त शुल्क जमा होने एवं दस्तावेजो की पूर्ति उपरान्त उपविभाजन मानचित्र जारी किये जावें।

  
शील घाम्भाई  
महापौर  
अध्यक्ष

  
यज्ञ मित्र सिंहदेव  
आयुक्त  
सदस्य सचिव

  
अनिल सिंघल  
मुख्य अभियन्ता  
सदस्य

  
राजेश कुमार तुलारा  
अति० मुख्य नगर नियोजक  
सदस्य

प्रयोजन - उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

1. प्रार्थी का नाम :- श्री संजय शर्मा पुत्र प्रहलाद नाथ शर्मा
2. भू. सं./योजना का नाम :- 17, (दक्षिणी हिस्सा) रमनेशपुरी, झोटवाड़ा (दी महावीर गृ.नि.स.स.लि.) जयपुर
3. भूखण्ड का प्रकार :-  
(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :-रमनेशपुरी, झोटवाड़ा (दी महावीर गृ.नि.स.स.लि.)  
(ii) आवंटित :- हों

4. क्षेत्रफल का विवरण :-

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके अनुसार
मूल भूखण्ड	294.62 व.ग.	294.62 व.ग.	294.62 व.ग. (रिडियस काटकर)
प्रस्तावित उपविभाजन (भू सं-17-ए)	100.00 व.ग.	100.00 व.ग.	100.00 व.ग.

5. सड़क की चौड़ाई :-

(i) योजना/ प्लान के अनुसार :- 30'-0"

(ii) मौके अनुसार :- 30'-0"

6. स्वामित्व रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा 17/एन अनुसार प्रकरण में मूल आवंटी द्वारा बेचान किया गया है, अतः सार्वजनिक विज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। मूल आवंटी द्वारा भूखण्ड 294.62 व.ग. में से 100.00 व.ग. का बिक्री विलेख से आवेदक श्री संजय शर्मा के पक्ष में बेचान किया गया है। आवेदक के पक्ष में 100.00 व.ग. का स्वामित्व सही है।

7. मौका रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा 5/एन अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में मौका देखा गया जिसकी स्थिति निम्नस्केचानुसार है। मौके पर प्रश्नगत भूखण्ड खाली है। भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 30'-0" है। भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 294.62 व.ग. है। आवेदक के भूखण्ड का क्षेत्रफल 100.00 व.ग. है।

8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :-

9. भूखण्ड पर सैट बैक भवन विनियम 2020 के बिन्दु सं. 10.7 (ix) के अनुसार प्रस्तावित किये गये हैं।

पैरामीटर	मूल भू. सं. 17	पैरामीटर	प्रस्तावित भू.सं. 17-ए (दक्षिणी भाग) का पर देय पैरामीटर
अग्र प्रथम	15'-0"	अग्र	10'-0"
अग्र द्वितीय	10'-0"	साइड प्रथम	8'-3" (भू सं 16 की ओर)
साइड प्रथम	-	साइड द्वितीय	-
साइड द्वितीय	8'-3"	पीछे	-




10. टिप्पणी :-


1. आवेदक द्वारा मानचित्र प्रस्तुत कर मूल भूखण्ड सं०-17 क्षेत्रफल 294.62 व.ग. में से भू० सं०-17-ए (दक्षिणी भाग) 100.00 व.ग. का उपविभाजन चाहा गया है।
2. मौके पर भूखण्ड खाली है। पट्टा 05.03.2004 का जारी है अतः पुर्नभरण शुल्क लिया जाना है।
3. उपरोक्त प्रकरण तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।


समिति का निर्णय :-प्रकरण मे एजेण्डा के तथ्यों पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार मूल भूखण्ड सं०-17 क्षेत्रफल 294.62 व.ग. में से भू० सं०-17-ए (दक्षिणी भाग) 100.00 व.ग. का उपविभाजन स्वीकृत कर जारी करने का निर्णय लिया गया।
2. प्रकरण मे पुर्नभरण राशि लेते हुए समस्त शुल्क जमा होने एवं दस्तावेजो की पूर्ति उपरान्त उपविभाजन मानचित्र जारी किये जावें।

  
शील घाम्बाई  
महापौर  
अध्यक्ष

  
यज्ञ मिश्र सिंहदेव  
आयुक्त  
सदस्य सचिव

  
अनिल सिंघल  
मुख्य अभियन्ता  
सदस्य

  
राजेश कुमार तुलार  
अति० मुख्य नगर नियोजक  
सदस्य

## प्रस्ताव सं. 04 (D)

प्रयोजन - उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

1. प्रार्थी का नाम :- श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह
2. भू. सं./योजना का नाम :- 24, योजना महन्त कॉलोनी, (नवजीवन गृ.नि.स.स.) खातीपुरा जयपुर
3. भूखण्ड का प्रकार :-  
(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- महन्त कॉलोनी (नवजीवन गृ.नि.स.स.) खातीपुरा  
(ii) आवंटित :- हाँ

## 4. क्षेत्रफल का विवरण :-

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके अनुसार	उपविभाजन योग्य क्षेत्रफल
मूल भूखण्ड	220.46 व.ग.	228.88 व. ग.	225.84 व. ग.	102.95 व.ग.
प्रस्तावित उपविभाजन	102.95 व. ग. (रेडियस हटाकर)	108.33 व. ग.	108.33 व. ग.	

## 5. सड़क की चौड़ाई :-

(i) योजना/ प्लान के अनुसार :- 30'-0" व 20'-0"

(ii) मौके अनुसार :- 30'-0' व 20'-0" से 22'-0"

6. स्वामित्व रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा संख्या 12/एन अनुसार मूल आवंटी द्वारा रजि. बेचान किया गया है अतः सार्वजनिक विज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आवेदक श्री विक्रम सिंह के पक्ष में पैरा 3/एन के अनुसार 108.33 वर्ग गज का स्वामित्व सही है।
7. मौका रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा संख्या 3/एन अनुसार मौके की स्थिति पत्रावली में स्केच अनुसार है। मौके पर प्रश्नगत भूखण्ड पर ग्राउण्ड + प्रथम तल का आवासीय निर्माण निर्मित है। भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 30'-0" व 20'-0" से 22'-0" है। मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल 225.84 वर्ग गज है। आवेदक के भूखण्ड का क्षेत्रफल 108.33 वर्ग गज है।
8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :-
9. भूखण्ड पर सैट बैक यू.डी.एच. परिपत्र 31.08.2021 एवं भवन विनियम 2020 के बिन्दु सं. 10.7 (ix) के अनुसार प्रस्तावित किये गये है।

पैरामीटर	मूल भू. सं. 24	पैरामीटर	प्रस्तावित भू.सं. 24-एन का पर देय पैरामीटर
अग्र प्रथम	10'-0"	अग्र प्रथम	10'-0"
अग्र द्वितीय	10'-0"	अग्र द्वितीय	10'-0"
साइड प्रथम	10'-0"	साइड प्रथम	-
साइड द्वितीय	10'-0"	साइड द्वितीय	-

10. टिप्पणी :-

1. आवेदक द्वारा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर मूल भूखण्ड क्षेत्रफल 220.46 वर्ग गज में से 102.95 व.ग. का उपविभाजन चाहा गया है।
2. मौके पर आवेदक कम भूमि पर काबिज है, मौके अनुसार स्वामित्व रेडियस क्षेत्रफल सहित 108.33 व.ग. है। स्वामित्व रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल 108.33 व.ग. है अतः रेडियस पश्चात् मौके अनुसार 102.95 व.ग. उपविभाजन योग्य है।
3. अग्र सैट बैंक में मौका रिपोर्ट अनुसार निर्माण है जिसका यू.डी.एच. परिपत्र दिनांक 31.08.2021 अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। (संलग्न 29/सी)
4. उपरोक्त बिन्दुओं के निर्णयोपरान्त प्रकरण तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।


समिति का निर्णय :-प्रकरण में एजेण्डा के तथ्यों पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रकरण में एजेण्डा के बिन्दु संख्या 2 अनुसार मूल भूखण्ड क्षेत्रफल 220.46 वर्ग गज में से 102.95 व.ग. का उपविभाजन कर जारी करने का निर्णय लिया गया।
2. प्रकरण में समस्त शुल्क जमा होने एवं दस्तावेजों की पूर्ति उपरान्त उपविभाजन मानचित्र जारी किये जावें।

  
शील घाभाई  
महापौर  
अध्यक्ष

  
यज्ञ मित्र सिंहदेव  
आयुक्त  
सदस्य सचिव

  
अनिल सिंघल  
मुख्य अभियन्ता  
सदस्य

  
राजेश कुमार तुलारा  
अति० मुख्य नगर नियोजक  
सदस्य

दिनांक 04.10.2021

## प्रस्ताव सं. 04 (E)

प्रयोजन - उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

1. प्रार्थी का नाम :- श्री सुनील वधवा पुत्र श्री चाननलाल वधवा
2. भू. सं./योजना का नाम :- सी -193-बी, मोती डूंगरी स्कीम, जयपुर
3. भूखण्ड का प्रकार :-  
(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- बाण मार्ग, तिलक नगर  
(ii) आवंटित :- हाँ

## 4. क्षेत्रफल का विवरण :-

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके अनुसार
मूल भूखण्ड	666.66 व.ग.	666.66 व.ग.	666.66 व.ग.
प्रस्तावित उपविभाजन सी-193-बी	361.11 व.ग.	361.10 व.ग.	361.11 व.ग.

## 5. सड़क की चौड़ाई :-

(i) योजना/ प्लान के अनुसार :- 40'-0"

(ii) मौके अनुसार :- 40'-0"

6. स्वामित्व रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा 17/एन से 19/एन अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के मूल आवंटी श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा भूखण्ड में से 305.5 व.ग. डॉ. श्री कृष्णा पाठक एवं डॉ. सती पंजाबी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया गया। मूल आवंटी एवं उनके एक पुत्र श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव व श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव मूल आवंटी के उत्तराधिकारियों में से 3 बेटियों यथा श्रीमती शारदा, डॉ. मीना एवं श्रीमती तारा द्वारा शेष उत्तराधिकारियों यथा श्रीमती चन्द्रप्रथा (पत्नी) श्री प्रसाद (पुत्र) एवं श्रीमती नलिनी पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव (पुत्रवधु) एवं निकीता अवयस्क पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव, व अवयस्क अंकूर पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव के पक्ष में हकत्याग किया गया। अन्य कोई उत्तराधिकारी नहीं होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। इन उत्तराधिकारियों द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आवेदकों श्री सुनिल वधवा को बेचान किया गया। आवेदक के पक्ष में स्वामित्व 361.10 व.ग. का बनता है।
7. मौका रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा 3/एन अनुसार प्रार्थी की उपस्थिति में मौका देखा गया जिसकी स्थिति पत्रावली में स्केचानुसार है। मौके पर भूखण्ड खाली है। भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 40'-0" है। भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 666.66 व.ग. है। आवेदक के भूखण्ड का क्षेत्रफल 361.11 व. ग. है।
8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :-
9. भूखण्ड पर सैट बैक भवन यू.डी.एच. अधिसूचना 31.08.2021 एवं विनियम 2020 के बिन्दु सं. 10.7 (ix) के अनुसार प्रस्तावित किये गये है।

पैरामीटर	मूल भू. सं. सी-193	पैरामीटर	प्रस्तावित भू.सं. सी-193-बी का पर देय पैरामीटर
अग्र	25'-0"	अग्र	25'-0"
साइड प्रथम	10'-0"	साइड प्रथम	10'-0" (भू.सं. सी-193-बी)
साइड द्वितीय	10'-0"	साइड द्वितीय	चरपेटा
पीछे	10'-0"	पीछे	10'-0"

10. टिप्पणी :-

1. आवेदक द्वारा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर मूल भूखण्ड क्षेत्रफल 666.66 व.ग. में से 361.11 व. ग. का उपविभाजन चाहा गया है।
2. प्रश्नगत भूखण्ड के अन्य भाग भू.सं. सी-193-ए क्षेत्रफल 305 वर्गगज का पूर्व में नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा दिनांक 27.05.1981 को उपविभाजन किया जा चुका है।
3. उपरोक्त बिन्दुओं के निर्णयोपरांत प्रकरण तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।


समिति का निर्णय :-प्रकरण में एजेण्डा के तथ्यों पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार मूल भूखण्ड क्षेत्रफल 666.66 व.ग. में से 361.11 व.ग. का उपविभाजन कर जारी करने का निर्णय लिया गया।
2. प्रकरण में समस्त शुल्क जमा होने एवं दस्तावेजों की पूर्ति उपरान्त उपविभाजन मानचित्र जारी किये जावें।

  
शील घामाई  
महापौर  
अध्यक्ष

  
यज्ञ मित्र सिंहदेव  
आयुक्त  
सदस्य सचिव

  
अनिल सिंघल  
मुख्य अभियन्ता  
सदस्य

  
राजेश कुमार तुलारा  
अति० मुख्य नगर नियोजक  
सदस्य

प्रयोजन - उपविभाजन स्वीकृति बाबत।

1. प्रार्थी का नाम :- श्री देवेन्द्र व्यास एवं श्री रविन्द्र व्यास पुत्रान स्व० श्री दुर्गा शंकर व्यास
2. भू. सं./योजना का नाम :- बी-62, मोती डूंगरी योजना तिलक नगर, जयपुर।
3. भूखण्ड का प्रकार :-  
(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- मोती डूंगरी योजना

(ii) आवंटित :- हौं

4. क्षेत्रफल का विवरण :-

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके अनुसार
मूल भूखण्ड	880.00 व. ग.	880.00 व. ग.	
प्रस्तावित उपविभाजन बी-62-ए (S)	440.00 व. ग.	870.83 व.ग. (संयुक्त)	870.33 व. ग. (संयुक्त)
प्रस्तावित उपविभाजन बी-62 (N)	440.00 व. ग.		

5. सडक की चौड़ाई :-

(i) योजना/ प्लान के अनुसार :- 40'-0"

(ii) मौके अनुसार :- 40'-0"

6. स्वामित्व रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा संख्या 28/एन अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड के मूल आवंटी द्वारा इस भूखण्ड की रजि. वसीयत आवेदकों (पुत्रों) श्री देवेन्द्र व्यास एवं रविन्द्र व्यास के पक्ष में आधा-आधा यथा 440 वर्ग गज+440 वर्ग गज की गई है। साईट प्लान अनुसार मूल आवंटी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। पैरा 3/एन पर उपलब्ध कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौके पर 870.33 वर्ग गज भूमि ही उपलब्ध है। जबकि साईट प्लान 880 वर्ग गज का है। आवेदकों द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार ही उपविभाजन/नाम हस्तान्तरण करने की सहमति का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है यथा 870.33 वर्ग गज का अतः तदानुसार स्वामित्व सही है।
7. मौका रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा संख्या 3/एन अनुसार मौके की स्थिति पत्रावली में स्केच अनुसार है। भूखण्ड का क्षेत्रफल 870.33 वर्ग गज है। भूखण्ड के सामने 40'-0" सडक की चौड़ाई है। उपरोक्त भूखण्ड के दक्षिणी भाग पर भूतल का निर्माण एवं उत्तरी भाग पर भूतल व प्रथम तल का निर्माण किया हुआ है। उत्तरी भाग के पीछे सैट बैंक में निर्माण निर्मित है।
8. प्रस्तावित उपविभाजन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :-
9. भूखण्ड पर सैट बैंक यू.डी.एच. परिपत्र 31.08.2021 एवं भवन विनियम 2020 के बिन्दु सं. 10.7 (ix) के अनुसार प्रस्तावित किये गये है।

पैरामीटर	मूल भू. सं.	पैरामीटर	प्रस्तावित भू. सं. बी-62 (N) का पर देय पैरामीटर	प्रस्तावित भू सं० बी-62-ए (S)
अग्र	30'-0"	अग्र	30'-0"	30'-0"
साइड प्रथम	10'-0"	साइड प्रथम	चरपेटा (शेष भू सं० बी-62-ए (S) की ओर	10'-0"



3



साइड द्वितीय	10'-0"	साइड द्वितीय	10'-0"	घरपेटा बी-62 (N) की ओर
पीछे	10'-0"	पीछे	10'-0"	10'-0"


10. टिप्पणी :-


1. आवेदक द्वारा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर मूल भूखण्ड क्षेत्रफल 880.00 वर्ग गज में से दो अलग-अलग भागों क्षेत्रफल 440.00 वर्ग गज प्रत्येक का उपविभाजन चाहा है।
2. भू सं० बी-62 (N) के पीछे के सैट बैंक में निर्माण निर्मित है जिसका शपथ पत्र संलग्न है। (110-111/सी)
3. मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड क्षेत्रफल 870.33 व.ग. है जबकि स्वामित्व 880.00 व.ग. है। आवेदकों द्वारा 870.33 व.ग. का उपविभाजन किए जाने हेतु शपथ पत्र दिया है।
4. भू सं० बी-62 (N) का मौका अनुसार कम क्षेत्रफल प्राप्त होता है अतः मौके अनुसार 35'-3" x 110'-0" क्षेत्रफल 430.33 व.ग. का एवं दक्षिणी भाग भूखण्ड सं० बी-62-ए (S) का 36'-0" x 110'-0" कुल क्षेत्रफल 440.00 व.ग. का उपविभाजन किया जाना उचित होगा।
5. उपरोक्त बिन्दुओं के निर्णयोपरांत प्रकरण तकनीकी रूप से अनुमोदन योग्य है।


समिति का निर्णय :-प्रकरण मे एजेण्डा के तथ्यों पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रकरण में मौके अनुसार भूखण्ड क्षेत्रफल 870.33 वर्ग गज में से दो अलग-अलग भागों क्षेत्रफल 440.00 वर्ग गज एवं 430.33 वर्ग गज का एजेण्डा के विचारणीय बिन्दु संख्या 4 अनुसार उपविभाजन कर जारी करने का निर्णय लिया गया।
2. प्रकरण मे समस्त शुल्क जमा होने एवं दस्तावेजो की पूर्ति उपरान्त उपविभाजन मानचित्र जारी किये जावें।

  
शील घाम्बाई  
महापौर  
अध्यक्ष

  
यश मित्र सिंहदेव  
आयुक्त  
सदस्य सचिव

  
अनिल सिंघल  
मुख्य अभियन्ता  
सदस्य

  
राजेश कुमार सुलारा  
अति० मुख्य नगर नियोजक  
सदस्य

प्रयोजन :- पुर्नगठन स्वीकृति बावत् ।

1. भू. सं./योजना का नाम :- (1) डा0 भंवर रायसल पुत्र श्री रिपू दमन सिंह, (2) श्री गिरधर प्रताप सिंह पुत्र श्री भंवर रायसल, (3) श्रीमती सुनीला रायसल पत्नी श्री भंवर रायसल एवं (4) श्री शत्रुंजचां सिंह पुत्र श्री भंवर रायसल
2. भूखण्ड का प्रकार :- 1, 2, 3 व 4 योजना कोस्मो कॉलोनी, जयपुर।  
(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- कोस्मो कॉलोनी

(ii) आवंटित :- हों ।

3. क्षेत्रफल का विवरण :-

विवरण	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार	स्वामित्व दस्तावेजों के अनुसार	मौके अनुसार
मूल भूखण्ड 1	383.77 व.ग.	383.77 व.ग.	383.77 व.ग.
मूल भूखण्ड 2	384.44 व.ग.	384.44 व.ग.	384.44 व.ग.
मूल भूखण्ड 3	386.88 व.ग.	386.88 व.ग.	386.88 व.ग.
मूल भूखण्ड 4	587.73 व.ग.	587.73 व.ग.	587.73 व.ग.
प्रस्तावित पुर्नगठन	1724.82.00 व.ग.	1724.82.00 व.ग.	1724.82.00 व.ग.

4. सडक की चौडाई :-

(i) योजना/ प्लान के अनुसार :- 30'-0"

(ii) मौके अनुसार :-30'-0"

5. स्वामित्व रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा संख्या 13/एन व 41/एन अनुसार मूलतय भूखण्ड की संलग्न पट्टों की प्रतियां अनुसार स्वामित्व निम्नानुसार है। (1) डा. भंवर रायसल पुत्र श्री रिपू दमन सिंह क्षे. 383.77 व. ग. (2) गिरधर प्रताप सिंह पुत्र श्री भंवर रायसल क्षे. 384.44 व.ग. (3) श्रीमती सुनीला रायसल पत्नी श्री भंवर रायसल क्षेत्रफल 368.88 व.ग. (4) श्री शत्रुंजचां सिंह पुत्र श्री भंवर रायसल क्षेत्रफल 587.73 व.ग. कुल क्षेत्रफल 1724.82 वर्ग गज है। आवेदकों का स्वामित्व 1724.82 व.ग. है आवेदकों के नाम पट्टे जारी है। आवेदकों का स्वामित्व सही है।

6. मौका रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा संख्या 11/एन अनुसार भूखण्ड की स्थिति पत्रावली में स्केच अनुसार है। भूखण्ड के सामने सडक की चौडाई 30'-0" है। जविप्रा के साईड प्लान के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल 1724.82 व. ग. है। पत्रावली में स्केच अनुसार जी+प्रथम तल निर्मित आवासीय भवन है व आवेदकों का निवास है।

7. प्रस्तावित पुर्नगठन मानचित्र एवं मौका रिपोर्ट का स्केच :-

8. भूखण्ड पर एकीकृत भवन विनियम 2017 के नियम 8.7(XII) के अनुसार प्रस्तावित किये गए है।

पैरामीटर	मूल भू. सं.	पैरामीटर	प्रस्तावित पुर्नगठन हेतु भूखण्ड, पर देय पैरामीटर
अग्र		अग्र प्रथम	20'-0" (6.10 मी.)
साईड प्रथम		अग्र द्वितीय	20'-0" (6.10 मी.)

९

साईड द्वितीय		साईड प्रथम	450 मीटर
पीछे		साईड द्वितीय	450 मीटर

9. टिप्पणी :-


1. आवेदकगणों द्वारा भू. सं. 1 क्षेत्रफल 383.77 वर्ग गज व भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 384.44 वर्ग गज, भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 368.88 वर्ग गज एवं भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 587.73 व. ग. को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 1724.82 व. ग. का पुर्नगठन चाहा गया है।
2. मौका रिपोर्ट अनुसार साईड सैट बैंक में अवैध निर्माण निर्मित है बावत् आवेदक से शपथ पत्र लिया जाना है।
3. भू सं०-29, भू. सं०-3 व भूखण्ड सं.-4 का उत्तर दिशा मौके व जारी साईट प्लान अनुसार सही है। व भू. सं०-1 का उत्तर दिशा मौका अनुसार जारी साईट प्लान में सही नहीं है। जिसे आवेदक से सही कराया जाना है।
4. प्रस्तावित पुर्नगठन हेतु भूखण्ड का क्षेत्रफल 1500 व.ग. से अधिक होने के कारण राज्य सरकार की स्वीकृति ली जानी है।


समिति का निर्णय :-प्रकरण में एजेण्डा के तथ्यों पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रकरण में प्रस्ताव भू. सं. 1 क्षेत्रफल 383.77 वर्ग गज व भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 384.44 वर्ग गज, भूखण्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 368.88 वर्ग गज एवं भूखण्ड संख्या 4 क्षेत्रफल 587.73 व. ग. को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 1724.82 व. ग. का पुर्नगठन एजेण्डा टिप्पणी के बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. प्रकरण में समस्त शुल्क जमा होने एवं दस्तावेजों की पूर्ति उपरान्त पुर्नगठन मानचित्र जारी किये जावें।

  
शील घामाई  
महापौर  
अध्यक्ष

  
यश मिश्र सिंहदेव  
आयुक्त  
सदस्य सचिव

  
अनिल सिंघल  
मुख्य अभियन्ता  
सदस्य

  
राजेश कुमार तुलारा  
अति० मुख्य नगर नियोजक  
सदस्य

प्रयोजन - बहु आवासीय (10 निवास ईकाई) भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।  
भवन विनियम जिनके तहत जॉच की गई - भवन विनियम -2020

1. प्रार्थी का नाम :- श्रीमती शकुन्तला शर्मा पत्नी स्व० श्री रघुवंश शर्मा एवं श्री सुरज प्रकाश त्यागी
2. भूखण्ड सं./योजना:- सी-69, तिलक नगर, जयपुर।
3. क्षेत्रफल :-  
(i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :- 740.60 व. ग. (619.23 व. मी.)  
(ii) पुर्नगठन अनुसार :-740.60 व. ग. (619.23 व. मी.)  
(iii) मौका अनुसार :- 740.60 व. ग. (619.23 व. मी.)
4. भूखण्ड का प्रकार :-  
(i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- तिलक नगर  
(ii) आवंटित :- हॉ।
5. सडक की चौड़ाई :-  
(i) पुर्नगठन प्लान अनुसार:-  
(ii) मौके के अनुसार :- 40'-0"
6. भू-उपयोग  
(i) मास्टर प्लान के अनुसार:- आवासीय  
(ii) प्रस्तावित :- आवासीय  
(iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग:- आवासीय।
7. मौका रिपोर्ट :-पत्रावली के पैरा 3/एन अनुसार मौके पर आवासीय भवन निर्मित है आवेदक जिसको ध्वस्त कर नव निर्माण करना चाहता है। मौके पर भूखण्ड का क्षेत्रफल 740.60 वर्ग गज है। भूखण्ड के सामने सडक की चौड़ाई 40'-0" है। सैट बैक में निर्माण नहीं है।
8. स्वामित्व रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा 5/एन अनुसार पत्रावली में स्वामित्व रिपोर्ट हेतु पत्रावली नगर निगम द्वारा पुर्नगठन जारी कर दिया गया है। जो कि पत्रावली में पृष्ठ सं. 3/सी पर सलंगन है।
9. तकनीकी रिपोर्ट :-  
(i) भवन के पैरामीटर्स:-

(1)	(2)	(3)	(4)
सैट बैक (न्यूनतम)	पुर्नगठन मानचित्र के अनुसार	एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र	25'-0"	25'-0" (7.62 मी.)	25'-0" (7.62 मी.)
साईड प्रथम	10'-0"	10'-0" (3.05 मी.)	10'-0" (3.05 मी.)
साईड द्वितीय	10'-0"	10'-0" (3.05 मी.)	10'-0" (3.05 मी.)
पीछे	10'-0"	10'-0" (3.05 मी.)	10'-0" (3.05 मी.)
ऊँचाई	-	1.2 मी. प्लिथ+2.5 मी. स्टिल्ट+15 मी	05 मी. प्लिथ+2.5 मी. स्टिल्ट+15 मी
मंजिल	-	अंकित नहीं	बी+एस+जी:4 तल
बेसमेंट	-	देय	प्रस्तावित
आच्छादन	-	सैट बैक क्षेत्र के अन्दर	सैट बैक क्षेत्र के अन्दर



2

बी.ए.आर	-	2.00	3.21
---------	---	------	------


- (ii) **पार्किंग**:- भवन विनियम अनुसार - 17.29 सी. यू.  
 कुल वांछित पार्किंग = 13 ई.सी.यू. ( 13 कार 13 दुपहिया)  
 प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित = 13 कार, 13 दुपहिया)


**10. विचारणीय बिन्दु :-**


1. आवेदक द्वारा कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर पुर्नगठित भूखण्ड क्षेत्रफल 740 व. ग. (619.23 वर्ग मीटर) पर 0.5 मी प्लिथ+2.5 मी स्टिल्ट+15 मीटर उँचाई के बहु आवासीय (10 निवास ईकाई) भवन निर्माण स्वीकृति चाही गई है।
2. प्रकरण तकनीकि रूप से अनुमोदन योग्य है।


**समिति का निर्णय :-**प्रकरण मे एजेण्डा के तथ्यों पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार पुर्नगठित भूखण्ड क्षेत्रफल 740 व. ग. (619.23 वर्ग मीटर) पर 0.5 मी प्लिथ+2.5 मी स्टिल्ट+15 मीटर उँचाई के बहु आवासीय (10 निवास ईकाई) भवन निर्माण स्वीकृति एजेण्डा के विचारणीय बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. प्रकरण मे समस्त शुल्क जमा होने एवं दस्तावेजो की पूर्ति उपरान्त भवन मानचित्र जारी किये जावें।

  
 शील घामाई  
 महापौर  
 अध्यक्ष

  
 यश मित्र सिंहदेव  
 आयुक्त  
 सदस्य सचिव

  
 अनिल सिंघल  
 मुख्य अभियन्ता  
 सदस्य

  
 राजेश कुमार तुलारा  
 अति० मुख्य नगर नियोजक  
 सदस्य

प्रस्ताव सं. 04 (G)

दिनांक 04.10.2021

प्रयोजन - स्वतन्त्र आवासीय (एक निवास ईकाई) भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।  
भवन विनियम जिनके तहत जॉच की गई - भवन विनियम -2020

1. प्रार्थी का नाम :- श्रीमती हरमन स्वर्णकार पत्नी डॉ0 विकास स्वर्णकार
2. भूखण्ड सं./योजना:- सी-127, दयानन्द मार्ग, तिलक नगर, मोती डूंगरी, जयपुर
3. क्षेत्रफल :-
  - (i) प्रस्तुत मानचित्र अनुसार :- 632.19 व.मी.
  - (ii) आवंटन अनुसार :- 756.1 व.ग. (632.24 व.मी.)
  - (iii) मौका अनुसार :- 756.10 व.ग. (632.24 व.मी.)
4. भूखण्ड का प्रकार :-
  - (i) यदि योजना का भाग है तो योजना का नाम :- मोती डूंगरी स्कीम
  - (ii) आवंटित :- हाँ।
5. सड़क की चौड़ाई :-
  - (i) योजना/साइट प्लान के अनुसार :- 40'-0" व 40'-0"
  - (ii) मौके के अनुसार :- 40'-0" व 40'-0"
6. भू-उपयोग
  - (i) मास्टर प्लान के अनुसार:- आवासीय
  - (ii) प्रस्तावित :- आवासीय
  - (iii) मौके पर भूमि/भवन का उपयोग:- खाली
7. मौका रिपोर्ट :- पत्रावली के पैरा 3/एन अनुसार आवेदक की उपस्थिति में मौका देखा गया जिसकी स्थिति निम्नस्केचानुसार है। भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई 40'-0" व 40'-0" है। भूखण्ड पर वर्तमान में मिट्टी खुदाई का कार्य चल रहा है। भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 756.10 व.ग. है।
8. स्वामित्व रिपोर्ट :- आवेदक के नाम से नगर-निगम द्वारा नाम हस्तांतरण जारी है जो कि पत्रावली में पृष्ठ सं. 6/सी पर संलग्न है।
9. तकनीकी रिपोर्ट :-
  - (i) भवन के पैरामीटर्स:-

(1)	(2)	(3)	(4)
सैट बैंक (न्यूनतम)	स्थल मानचित्र के अनुसार	एकीकृत भवन विनियम 2020 अनुसार	प्रस्तुत मानचित्र अनुसार
अग्र प्रथम	25'-0"	25'-0" (7.62 मी.)	25'-0" (7.62 मी.)
अग्र द्वितीय	20'-0"	20'-0" (6.1 मी.)	20'-0" (6.1 मी.)
साईड प्रथम	10'-0"	10'-0" (3.05 मी.)	10'-0" (3.05 मी.)
साईड द्वितीय	10'-0"	10'-0" (3.05 मी.)	10'-0" (3.05 मी.)
ऊँचाई		1.2 मी. प्लिंथ+2.5 मी. स्टिल्ट+15 मी.	1.05 मी. प्लिंथ+14.94 मी.
मंजिल		अंकित नहीं	बी+जी+3 तल
बेसमेंट		देय	प्रस्तावित
आच्छादन		सैट बैंक के अंदर	सैट बैंक के अंदर
बी.ए.आर		2.00	1.86





- (ii) पार्किंग:- भवन विनियम अनुसार = 10.27 ई. सी. यू.  
कुल वांछित पार्किंग = ( 8 कार, 8 दुपहिया)  
प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित = ( 8 कार, 8 दुपहिया)

10. विचारणीय बिन्दु :-


1. प्रार्थीया द्वारा मानचित्र प्रस्तुत कर भू0 सं0 सी-127 मोंती डूंगरी योजना में कुल क्षेत्रफल 632.19 व.मी. पर स्वतंत्र आवासीय (एक निवास इकाई) कुल उंचाई 1.05 मी. प्लिंथ+14.94 मी. (बी+जी+3 तल) पर निर्माण स्वीकृति चाही गई है।
2. प्रकरण तकनीकि रूप से अनुमोदन योग्य है।


समिति का निर्णय :-प्रकरण मे एजेण्डा के तथ्यों पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया कि:-

1. प्रकरण में प्रस्ताव अनुसार भू0 सं0 सी-127 मोंती डूंगरी योजना में कुल क्षेत्रफल 632.19 व.मी. पर स्वतंत्र आवासीय (एक निवास इकाई) कुल उंचाई 1.05 मी. प्लिंथ+14.94 मी. (बी+जी+3 तल) पर निर्माण स्वीकृति किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. प्रकरण मे समस्त शुल्क जमा होने एवं दस्तावेजो की पूर्ति उपरान्त भवन मानचित्र जारी किये जावें।

  
शील घामाई  
महापौर  
अध्यक्ष

  
यश मित्र सिंहदेव  
आयुक्त  
सदस्य सचिव

  
अनिल सिंघल  
मुख्य अभियन्ता  
सदस्य

  
राजेश कुमार तुलारा  
अति० मुख्य नगर नियोजक  
सदस्य